बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: सं क ल प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2569 दिनांक 03.11.2016 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 116/2016 दिनांक 28.10.2016 धारा–7/8/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं श्री अंसारी को दिनांक 27.10.2016 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2109 दिनांक 21.02.2017 द्वारा दिनांक 27.10.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक 23.01.2017 को श्री अंसारी द्वारा विभाग में योगदान दिया गया। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 89 दिनांक 14.01.2017 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री अंसारी के विरूद्ध आरोप है कि परिवादी रामवृक्ष साह से 1,00,000/– (एक लाख) रूपये रिश्वत की मांग किये जाने तथा उनके सरकारी आवास से उनके अर्दली श्री वैद्यनाथ यादव (दैनिक वेतन कर्मचारी) के पास 1,00,000/– (एक लाख) रूपये जी०सी० नोट जो प्री–ट्रैप में अंकित था बरामद किया गया। परिवादी के भाई राम विलास साह से 1,00,000/– (एक लाख) रूपये रिश्वत की राशि स्वीकार किया जाना भ्रष्ट आचरण का परिचायक है तथा भ्र०नि०अधि०, 1988 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

श्री अंसारी के विरूद्ध उक्त थाना कांड में प्राथमिक अभियुक्त बनाये जाने के फलस्वरूप विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 252 दिनांक 26.12.2016 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी तथा श्री अंसारी के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 108/2016 दिनांक 26.12.2016 माननीय न्यायालय में समर्पित है।

विभागीय पत्रांक 2110 दिनांक 21.02.2017 द्वारा श्री अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अंसारी ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरान्त प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए, आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13560 दिनांक 24.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त (वर्तमान–महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त), बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 533 दिनांक 28.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके विश्लेषण एवं जाँच परिणाम में उल्लेखित है कि :–

"उभय पक्षों को लिखित अभ्यावेदन देने एवं विभिन्न गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त मौका देने के बाद भी आरोपित पदाधिकारी के द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को खारिज करने हेतु कोई पर्याप्त/प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। आरोपित पदाधिकारी के खंडन एवं बचाव बयान में वर्णित प्रत्येक बिन्दु को खारिज करते हुए आरोप प्रमाणित करने हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/प्रशासी विभाग के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य/तथ्य उपलब्ध कराया गया। इसकी पुष्टि विभिन्न गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण से भी होती है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त करने के आरोप प्री–ट्रैप मेमोरेंडम एवं पोस्ट–ट्रैप मेमोरेंडम में वर्णित विवरणी एवं गवाहों के बयान के साथ–साथ फॉरेंसिक जाँच से भी पुष्टि होती है।

(कृ0पृ0उ0)

वर्णित तथ्यों के आलोक में अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों/साक्ष्यों/साक्षियों के बयान/आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित खंडन/बचाव अभ्यावेदन की विवेचना/विश्लेषण से श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी (विभागीय कार्यवाही संख्या–44/2017 एवं प्रशासी विभाग के संकल्प सं0–13560 दिनांक 24.10.2017) के विरुद्ध गठित आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।"

विभाग द्वारा श्री अंसारी से संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री अंसारी द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित समर्पित किया गया।

प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अंसारी से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गई।

उक्त समीक्षोपरान्त पाया गया कि लिखित अभिकथन में श्री अंसारी अपने बचाव हेतु कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहें एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी कागजातों, साक्षियों के बयान इत्यादि के आधार पर समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री अंसारी पर आरोपित सभी आरोप पूर्णतया प्रमाणित प्रतिवेदित है। श्री अंसारी के विरुद्ध परिवादी श्री रामवृक्ष साह से रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपया) रिश्वत की मांग किये जाने तथा उनके सरकारी आवास से उनके अर्दली श्री वैद्यनाथ यादव (दैनिक वेतन कर्मचारी) के पास रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपया) जी०सी० नोट जो प्री–ट्रैप में अंकित था, बरामद किये जाने संबंधी गंभीर आरोप प्रमाणित है। श्री अंसारी का यह आचरण बिहार सरकार आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् "शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती" का दण्ड स्थायी रूप से अधिरोपित किये जाने का विनिश्चित किया गया। विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 15470 दिनांक 20.08.2025 एवं पत्रांक 19415 दिनांक 13.10.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 4171 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्ति की गयी।

श्री अंसारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विनिश्चित दंड एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत श्री अंसारी का विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2430 दिनांक 03.02.2026 द्वारा **"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"** का दंड स्थायी रूप से अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री अंसारी के पत्र दिनांक 16.03.2026 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं एवं इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(i) आरोप–पत्र का गठन सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं किया गया है।

वस्तुस्थिति :– श्री अंसारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(3) के तहत गठित आरोप–पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की गयी है।

(ii) आरोप से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य जाँच आयुक्त एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(कृ0पृ0उ0)

वस्तुस्थिति :— इस संबंध में जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 23.08.2021 एवं 15.09.2021 के आदेश में वांछित दस्तावेज/कागजात ट्रैप से संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त करने का निदेश आरोपित पदाधिकारी श्री अंसारी को दिया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए थी। जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा जाँच को बार—बार बाधित/दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गयी है।

(iii) आरोप—पत्र में गवाहों की सूची नहीं दी गयी है।

वस्तुस्थिति :— श्री अंसारी द्वारा यह पूर्णतया असत्य प्रतीत होता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि श्री अंसारी को अपना पक्ष रखे जाने एवं लिखित अभ्यावेदन देने के साथ—साथ विभिन्न गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त मौका देने के बाद भी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) जाँच प्रतिवेदन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17(23) के तहत तैयार नहीं किया गया है।

वस्तुस्थिति :— श्री अंसारी का यह कहना पूर्णतया असत्य है। इस संबंध में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा नियम—17 के प्रावधानों के तहत जांच की गयी है एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आरोपी के द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर विभागीय कार्यवाही की जांच को अनावश्यक रूप से विलम्ब करने की लगातार कोशिश की गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के कृत्य को अंकित किया गया।

(v) परिवादी द्वारा षडयंत्र के तहत गिरफ्तार करवाकर मुझे जेल भेजा गया एवं मामला सक्षम न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। फिर भी मनगढ़ंत आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही चलाकर दंडित करना न्यायसंगत नहीं है।

वस्तुस्थिति :— यह तथ्य श्री अंसारी द्वारा उनके ऊपर लगाये गये गंभीर आरोपों से बचने

का मात्र असफल प्रयास है। उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही दोनों अलग—अलग प्रक्रिया है एवं दोनों में ही स्थापित नियमों के तहत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। श्री अंसारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही दोनों प्रक्रियाओं/प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाने का असफल प्रयास किया गया है।

(vi) विभागीय कार्यवाही सं0—10/19 पेंशन से 50% राशि की कटौती स्थायी रूप से का दंड दिया जा चुका है। फिर भी विषयांकित दंडादेश के द्वारा 100% पेंशन कटौती स्थायी रूप से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती।

वस्तुस्थिति :— विदित हो कि आरोपित पदाधिकारी पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3246 दिनांक 08.03.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही सं0—10/19 में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5366 दिनांक 25.03.2025 द्वारा "पेंशन से 50 प्रतिशत राशि की कटौती स्थायी रूप से" का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित है।

उपस्थापित मामला प्रत्यानुपातिक धनार्जन से भिन्न मामला है। इसके तहत श्री अंसारी के विरुद्ध अलग से आरोप—पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। इसके आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम—43(बी.) के प्रावधानों के तहत "शत—प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती" का दंड स्थायी रूप से अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है, जो पूर्णतया उचित है।

(कृ0पृ0उ0)

श्री अंसारी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन एवं प्रतिवेदित आरोपों के सम्यक् विचारोपरांत स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी कागजातों, साक्षियों के बयानों, फॉरेंसिक जाँच प्रतिवेदन इत्यादि के आधार पर जाँचोपरांत सभी आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री अंसारी के विरुद्ध परिवादी श्री रामवृक्ष साह से 1,00,000/– (एक लाख) रूपया रिश्वत की मांग किये जाने तथा उनके सरकारी आवास से उनके अर्दली श्री वैद्यनाथ यादव (दैनिक वेतन कर्मचारी) के पास 1,00,000/– (एक लाख) रूपये जी०सी० नोट जो प्री–ट्रैप में अंकित था बरामद किये जाने संबंधी गंभीर आरोप प्रमाणित है। श्री अंसारी का यह आचरण बिहार सरकार आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अंसारी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को **अस्वीकृत** करते हुए इनके विरुद्ध "शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती" का दण्ड स्थायी रूप से अधिरोपित एवं संसूचित को पूर्ववत् बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2430 दिनांक 03.02.2026 द्वारा **"शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती"** का दण्ड स्थायी रूप से अधिरोपित एवं संसूचित को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/नि0था0–11–03/2016–सा0प्र0– 6105 **/पटना, दिनांक–** 6·4·26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, पत्राचार–फ्लैट नं0–402, मक्का टावर अपार्टमेंट, समनपुरा, राजा बाजार, पटना–800014, मो0नं0–8709422574/वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.4.26

सरकार के अवर सचिव।